फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बैरवा बनाम श्री किशन व अन्य

नाम न्यायालय SDO II सांगानेर

केस संख्या 183/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	28/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस T.I. हेतु दि० 30/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील अप्रार्थी ने जवाब T.I. पेश करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] और से पेश किया [illegible] वास्ते बहस T.I. हेतु पत्रावली दिनांक 03/7/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	3/7/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित वकील उभयपक्षों की प्रार्थना बाबत रोके जाने जवाब व रिकार्ड पर लेने पर बहस हुई अप्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर जवाब रिकार्ड पर लिया जाता है। उभयपक्षों के अभिभाषकगणों की T.I. पर बहस सुनी। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, जवाब प्रार्थना का अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादी/प्रार्थी वादग्रस्त आराजी ख०नं० 526 व 528 के रिकार्ड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वकील उभयपक्ष का कथन है कि वाद के निर्णय तक उभयपक्षकारान को मौके की यथास्थिति कायम रखी जाता। उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी पर दावा के निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील तामील दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	